



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० RO/17/2016/STGJH/SEOTH/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 26/10/2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
रांची (झारखण्ड)
2. सचिव,
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
झारखण्ड सरकार
रांची (झारखण्ड)
3. उपायुक्त,
ज़िला-रांची,
रांची (झारखण्ड)
4. अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक,
एच.ई.सी.एल, हटिया,
रांची (झारखण्ड)


विषय: 2013 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनस्थापन कानून धारा 24 उपधारा 2 के तहत एच.ई.सी.एल. 1960 में अधिग्रहित भूमि को रैयतों को सौंपने के संदर्भ में विस्थापित पुनर्वासित गांवों का म्यूटेशन और ओनरशिप दिलाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डा० रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 10.09.2016 एवं 11.09.2016 को रांची जिले के पुनर्वास ग्रामों के दौरे एवं दिनांक 12.09.2016 को एच.ई.सी.एल. प्रबंधन व जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,


(वी.पी.शाही)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं० 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ।
2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. श्री राहुल उरांव एवं अन्य, एच.ई.सी.एल., हटिया विस्थापित परिवार समिति, तिरिल, लाबेद, कुटे, नया सराय, आनी, धुर्वा-834004

